न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2019 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2019/00005

अनवान

1. श्री ख्याली लाल पिता भुरीलाल त्रिवेदी, निवासी खाखड, तह. झाडोल, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर
नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 26.03.1991

* निर्णय *

दिनांक– 26-02-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 26.03.1991 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खाखड, तहसील झाडोल में अपीलान्ट के खातेदारी अधिपत्य की आराजी संख्या 1286 रकबा 0.0500 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसे अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1985 द्वारा क्रय कर उक्त भूमि का आवासीय सम्परिवर्तन कराये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी झाडोल को आवेदन प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा दिनांक 22.10.1990 को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार झाडोल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 26.03.1991 खोले जाने का आदेश प्रदान किया गया, किन्तु उक्त नामान्तरकरण खोले जाते समय उक्त भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर दी गयी, जो अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा भारी भूल की गयी है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर आवास हेतु मकान का निर्माण कर दिया गया है एवं भूमि का आवासीय उपयोग कर रहा है। हाल ही में उक्त भूमि में से 0.0112 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना प्रकाशित होने पर मुआवजे के लिये चाराजोही करने पर अपीलान्ट को भूमि का नामान्तरकरण गलत खोले जाने की जानकारी प्राप्त हुयी। तहसीलदार झाडोल द्वारा खोला गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी। तहसीलदार द्वारा

प्रकरण में अपने पत्र क्रमांक 2628 दिनांक 06.12.2019 से नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को प्रस्तुत की। मामले में राजकीय अधिवक्ता द्वारा पृथक से कोई जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मामले मे भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया जाना, रूपान्तरण कराया जाना, तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण खोले जाने में त्रुटि रह जाना अवगत कराया एवं ऐसे विधि विरूद्ध आवंटन को खारिज कराये जाने हेतु अनुरोध किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा मामले में तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 134 के सम्बन्ध में आबादी रूपान्तरण उपरान्त राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म आबादी दर्ज किया जाना अवगत कराया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट श्री ख्यालीलाल पिता भुरीलाल द्वारा मौजा खाखड की आराजी संख्या 1286 रकबा 0.0500 हेक्टेयर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1985 को क्रय की है एवं इसके उपरान्त भूमि का रूपान्तरण आवासीय प्रयोजनार्थ कराया गया है, किन्तु रूपान्तरण का नामान्तरकरण संख्या 134 खोलते समय तहसीलदार द्वारा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म आबादी दर्ज कर दी गयी है, जबकि नियमानुसार भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम ही दर्ज रहनी चाहिये थी। तहसीलदार द्वारा खोले गये उक्त नामान्तरकरण में प्रथम दृष्टया त्रुटि परिलक्षित होने से ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रति प्रेषित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 26.03.1991 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार झाडोल को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि हमारे द्वारा दिये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये, दस्तावेजों की जांच कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर नवीन सिरे से विधि सम्मत नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.02 12:31:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: